तहसील श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :—श्री कैलाशचन्द्र आर.ए.एस

मु0माल स0 161 / 2016

1—रामनिवास पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी 111 सुखड़िया शापिग सेन्टर श्रीगंगानगर हिस्सेदार चक 6 जैड ए तहसील व जिला श्रीगंगानगर — प्रार्थी

बनाम

1—रतनीदेवी पत्नी सूरजाराम निवासी चक 6 जैड ए तहसील श्रीगंगानगर
2—मदनलाल पुत्र सूरजाराम निवासी चक 6 जैड ए तहसील श्रीगंगानगर
3—किशोरीलाल पुत्र सूरजाराम निवासी चक 6 जैड ए तहसील श्रीगंगानगर
4—चिमनलाल पुत्र सूरजाराम निवासी चक 6 जैड ए तहसील श्रीगंगानगर
5—रामकुमार पुत्र सूरजाराम निवासी चक 6 जैड ए तहसील श्रीगंगानगर
6—जयदयाल पुत्र सूरजाराम निवासी चक 6 जैड ए तहसील श्रीगंगानगर
7—काशीराम पुत्र सूरजाराम निवासी चक 6 जैड ए तहसील श्रीगंगानगर
8—सत्यपाल पुत्र सूरजाराम निवासी चक 6 जैड ए तहसील श्रीगंगानगर
9—राजकुमार पुत्र सूरजाराम निवासी चक 6 जैड ए तहसील श्रीगंगानगर
10—जसोदा पुत्री सूरजाराम निवासी चक 6 जैड ए तहसील श्रीगंगानगर
11—नरेश सेतिया पुत्र परमानन्द निवासी फार्म हाउस बिनोवावस्ती श्रीगंगानगर
12—धीरज पुत्र नरेश सेतिया निवासी फार्म हाउस बिनोवावस्ती श्रीगंगानगर
13—किरण पत्नी नरेश सेतिया निवासी फार्म हाउस बिनोवावस्ती श्रीगंगानगर
14—मागीलाल पुत्र कालूराम सेनी निवासी 6 जैड ए तहसील श्रीगंगानगर
15—शंकरलाल पुत्र कालूराम सेनी निवासी 6 जैड ए तहसील श्रीगंगानगर
16—भागीरथ पुत्र कालूराम सेनी निवासी 6 जैड ए तहसील श्रीगंगानगर

— अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 251(क)राजस्थान काश्तकारी अधि01955

उपस्थितिः— श्री पृथ्वीराज शर्मा एडवोकेट—प्रार्थी
श्री सुखदेवसिंह एडवोकेट— अप्रार्थी स01ता10
श्री गुरविन्द्रसिंह एडवोकेट— अप्रार्थी स011से13

:—निर्णय :— दिनांकः— 19 मई ,2016

प्रकरण के सक्षेंप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया चक 6 जैड ए के निवासी है। खाता स0 42 / 36 मु0न032—39 की 2.619 हैक्टयर भूमि मुश्तर्का खाते में खातेदारी हैं।6 जैड में श्यामनगर में रोड चल रही है। इसमे एक रास्ता खडबंजा रोड के रुप में चल रहा है। जो कि मु0न031 के कि0न021 के साथ होकर जाता है। मु0न032 के कि0न025 तक आने व आगे शालीमार बाग कालोनी में जाने के लिए रास्ता मु0न031 के

— cont. 2

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

अभिभाषण स्वीकार किया है।

कि0न021ता25 जो कि अप्रार्थीयान स0 11 ता 13 के नाम से दर्ज हैं तथा मु0न032 के कि0न021 ता 25 जो कि प्रार्थीयान व अप्रार्थीयान 1 ता 16 के नाम से मुश्तर्का खाता में दर्ज है। मगर उक्त रास्ता स्वीकृत नहीं है। अब इसमें बाधा पैदा की जा रही है। मु0न031 के कि0न021ता25 तथा 32 के कि0न021 ता 25 में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करना आवश्यक हैं। अतः पत्थर लाईन पर रास्ता स्वीकृत किया जावें। प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई गई। बाद रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स0 1 ता 13 की ओर से वकील हाजिर आये तथा 14से 16 की एडी0बाद नोटिस प्राप्ति के प्राप्त होने के कारण उनके विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। अप्रार्थी स01ता 10 की ओर से दिनांक 29–1–2016 एंव अप्रार्थी स0 11 से 13 की ओर से दिनांक 4–9–15 को जबाब प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थीगण स0 1 ता 10 ने जबाब में निवेदन किया कि सयुंक्त खाते में भूमि 2.619 हैक्टयर हैं मगर 0.103 हैक्टयर भूमि जिसका वाद सिविल न्यायाधीश श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन है। मु0न031 के कि0न021ता25 में से कोई भी स्वीकृत रास्ता नहीं है। यह रास्ता घरेलू अप्रार्थीयान की ढाणी जो मु0न032 के कि0न021 तक आने जाने के लिऐ बनाया हुआ हैं जो कि ढाणी तक हैं आगे कोई भी रास्ता नहीं है। रास्ता केवल ढाणी तक जाने हेतु हैं व शालीमार कालोनी तक जाने हेतु नहीं है। मु0न032 के कि0न022 ता 25 में से कोई भी रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण स0 11 मा 13 की कृषि भूमि में से कोई स्वीकृत रास्ता नहीं हैं ना ही बााा पैदा की जा रही हैं। विवाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने से प्रार्थनापत्र खारिज किया जावें। अप्रार्थी स0 11 मा 13 ने अपने जबाब में लिखा हैं कि कृषि भूमि का कोई बंटवार नहीं हआ है। सयुंक्त खाता की कृषि भूमि में से रास्ता कानूनन स्वीकृत नहीं किया जा सकता हे। सुविधाजनक रास्ता पूर्व में ही है। किसी के साथ कोई पारिवारिक समझोता नहीं हुआ है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावें।

दिनांक 13–5–2016 को उभय पक्षों के सुयोग्य अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपने प्रार्थनापत्र को दोहराते हुऐ रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। सुखदेवसिंह एडवोकेट ने अपनी बहस में तर्क दिया कि सीविल कोर्ट में वाद पेडिंग होने की बजह से तथा तहसील की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत नहीं कर प्रा0पत्र खारिज किया जावें। अप्रार्थी स011से 13 के वकील ने अपनी बहस में तर्क दिया कि पटवारी रिपोर्ट में लिखा हैं कि रास्ते की आवश्यकता नहीं है। इसके खेत तक पहले ही रास्ता हैं।

हमने दोनों पक्षों की ओर से समायत की गई बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251(क)के अन्तर्गत अति आवश्यक होने पर रास्ता दिलवाने के लिऐ डीएलसी की दर का दो गुणा राशि मुआवजा के तौर पर दी जाकर रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। 251 (क) में प्रार्थी–अप्रार्थी को सुना जाना आवश्यक होता है तथा सक्षिप्त कार्यवाही कर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व)श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 15–5–2015 के अनुसार चाहा गया रास्ता की भूमि सयुंक्त खाते में है। सभी सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा शालीमार बाग कालोनी में आने जाने हेतु रास्ते की मांग की है। यह कालोनी पदमपुर रोड से जुडभ हुई हैं आवागमन का विकल्प है। मौका पर मु0न031 के कि0न01,10,11,20,21 में मन्जूर शुदा रास्ता हैं।कि0न021ता25 में

—cont. ③

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

③ A 3/3 विविध 161/15

से गैर मन्जूरशुदा रास्ता चालू है। मु0न032 में अप्रार्थीगण की ढाणी बनी हुई हैं। इस भूमि बाबत 177 आरटीए का प्रकरण विचाराधीन हैं। प्रार्थीया की ओर से चाहे गये रास्ता की भूमि संयुक्त खाते में हैं तथा प्रकरण सिविल न्यायालय व राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन है। संयुक्त खाते की भूमि का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता हैं तथा 177 आरटीए के प्रकरण का निस्तारण नहीं होता हैं तब तक रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नहीं है। दूसरा प्रार्थीया के पास विकल्प रास्ते का हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता हैं। आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व)श्रीगंगानगर को प्रेषित कीजावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर